न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 117 / 2024

प्रार्थी	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
वीरमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी	1. कंवराराम पुत्र किशनाराम 2. घमंडाराम पुत्र किशनाराम 3. बींजाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 से. 3 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 08.04.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थी श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने तर्क दिए कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 [illegible] काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष [illegible] किया [illegible] जिसमें [illegible] तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना [illegible] प्रार्थी एवं विप्रार्थ सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी [illegible] मौजा बिला[illegible] पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 113 / 1 रकबा 1.9901 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 115 / 6 रकबा 3.6971 हैक्टेयर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारवाडे आदि बने हुए है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ वक्त सेन्टलमेंट से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है, खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 03 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है प्रार्थीगण की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी कर रहे है तथा मौका पाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में जबरन काबिज होकर स्थाई निमार्ण कर किसी अजनबी केता को बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते हैं, प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने लगे, यदि इसमें सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे प्रार्थी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करतें हुए मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

विप्रार्थी सं. 01 से 03 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न राजस्व रेकर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जिसमे पाया कि मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 113/1 रकबा 1.9901 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 115/6 रकबा 3.6971 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम खातेदारी में दर्ज है, जो सलंग्न जमाबंदी संवत 2076 के अवलोकन से साबित है। किसी भी संयुक्त खातेदारी की सामालती अविभाजित जोत का विधिवत विभाजन नहीं होने की दशा में यदि किसी पक्षकार द्वारा [illegible] खातेदारी की सहमति के किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि किया जाता है [illegible] उस [illegible] आवश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही वाद का निस्तारण [illegible] कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। प्रस्तुत रेकर्ड व [illegible] प्रार्थी [illegible] भी आधार पर प्रथम द्वष्यता प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी का बनना प्रतीत होता [illegible] कट तथ्यो के हैं ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

2

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 113/1 रकबा 1.9901 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 115/6 रकबा 3.6971 हैक्टेयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested